आयुक्त/अध्यक्ष

दिनांक 5.12.87 को प्राधिकरण कार्यालय में ~~हुयी~~ आपकी अध्यक्षता में हुयी बैठक का कार्यवृत्त आपके अनुमोदनार्थ एवम् हस्ताक्षर हेतु प्रस्तुत है ।

दिनांक: 8.12.87

उपाध्यक्ष

सचिव

18.12.87

प्राधिकरण की बैठ

1- श्री एस0एस0पांगती

2- श्री प्रताप सिंह, उप

3-सुश्री विभापुरी, जिल

4- श्री हीरा सिंह बि

5- श्री शंकर अग्रवाल, सं
आवास अनुभाग-1,

6- श्री [illegible]

7- श्री [illegible]

8- श्री [illegible]

9- श्री [illegible]

10- एस.पी. [illegible]

11- ~~[illegible]~~ [illegible]

12- [illegible]

13- बृजबीरतन

14- आर.पी. सिंह,

15- डी. एस. [illegible]

16 - के एल. साह,

17 - [illegible]

18 - [illegible] Sharma,

19 - K. K. Sharma

20 - U.D. Cha

21 -

22 -

प्राधिकरण की बैठक दिनांक 5-12-87 में माननीय सदस्यों की उपस्थिति :-

1- श्री एस०एस०पाँगती, आयुक्त/अध्यक्ष, गढ़वाल मंडल,

2- श्री प्रताप सिंह, उपाध्यक्ष, म०दे०वि०प्रा० ।

3-सुश्री विभापुरी, जिलाधिकारी, देहरादून ।

4- श्री हीरा सिंह बिष्ट, नगर विधायक ।

5- श्री शंकर अग्रवाल, संयुक्त सचिव, उ०प्र०शासन, आवास अनुभाग-1, लखनऊ ।

6- श्री एच०के० शर्मा वरिष्ठ नगर नियोजक

7- श्री डी०एम० रहमान अधिशासी अभियन्ता

8- श्री एम. पी. सिंह जनरल मैनेजर [illegible]

9- डा. के सी. श्रीवास्तव

10- एस.पी. उनियाल - सहायक प्रा[illegible] (प्रतिनिधि मुख्य वन संरक्षक)

11- ~~[illegible]~~ डी के गुप्ता - अधि० अभि० जल निगम देहरादून

12- ए.सी. दुबे अधिशासी अभियन्ता वि.पो. देहरादून

13- बृजबीरतन सहयुक्त नियोजक नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग देहरादून

14- आर.पी. सिंह, सचिव, दून घाटी विशेष विकास प्राधिकरण

15- डी.एस. भण्डारी संयुक्त सचिव MDDA देहरादून

16- के एल. साह, सहायक निदेशक पर्यटन मसूरी

17- प्रकाश नारायण, महाप्रबन्धक, गढ़वाल जल संस्थान

18- Vinod Sharma, SDM, Mussoorie

19- K. K. Sharma. Regional Officer U.P. Pollution Control Board

20- U.D. Chaube Secy M.D.D.A.

21 -

22 -

मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण की दिनांक 5.12.87 को प्राधिकरण कार्यालय में हुयी बैठक की कार्यवाही :-

उपस्थिति :-

1- श्री एस0एस0 पांगती, आयुक्त गढवाल मण्डल - अध्यक्ष

2- श्री प्रताप सिंह, -उपाध्यक्ष

3- कु0 विभा पुरी, जिला मजिस्ट्रेट, देहरादून -सदस्य

4- श्री शंकर अग्रवाल, संयुक्त सचिव, उ0प्र0 शासन लखनऊ । -सदस्य

5- श्री हीरा सिंह बिष्ट, नगर विधायक, देहरादून -सदस्य

6- श्री के0सी0 थपलियाल, प्रतिनिधि मुख्य वन-संरक्षक, देहरादून । प्रतिनिधि सदस्य

7- श्री डब्ल्यू रहमान, प्रतिनिधि प्रमुख अभियन्ता सा0नि0वि0, देहरादून । प्रतिविधि सदस्य

8- श्री एच0के0 शर्मा, वरिष्ठ नगर नियोजक, नगर एवम् ग्राम्य नियोजन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ । प्रतिनिधि सदस्य

9- श्री एन0बी0 सिंह, जनरल मैनेजर, उद्योग विभाग, देहरादून । सदस्य

विशेष आमन्त्रित

1- श्री एस0सी0 उनियाल, सक्षम प्राधिकारी नगर भूमि सीमरोपण, देहरादून ।

2- श्री डी0के0 गुप्ता, अधिशासी अभियन्ता, जल निगम, देहरादून ।

3- श्री ए0सी0 दुबे, अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका, देहरादून ।

4- बृज बी0 रतन सहयुक्त नगर नियोजक, गढवाल सम्भाग, देहरादून ।

5- श्री प्रकाश नारायण निगम, महाप्रबन्धक, गढवाल जल संस्थान, देहरादून ।

6- श्री आर0पी0 सिंह, सचिव, दून घाटी विशेष विकास प्राधिकरण, देहरादून

7- श्री के0एल0 साह, निदेशक, पर्यटन, मसूरी ।

8- श्री विनोद शर्मा, अरगनाधिकारी, मसूरी ।

9- श्री के0के0 शर्मा, क्षेत्रीय अधिकारी, मसूरी ।

अन्य ~~उपस्थिति~~ उपस्थित :-

1- श्री ब0डी0 चौबे, सचिव, मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून ।

2- श्री डी0एस0 मनराल, संयुक्त सचिव, मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून ।

दिनांक 5.12.87 की मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण की बैठक का कार्यवृत्त ।

====================00000================================

प्राधिकरण के नये सदस्य कु0 विभा पुरी, जिलाधिकारी, देहरादून का स्वागत किया गया व फिर पिछली बैठकों की अनुपालन आख्या पढ़ी गयी। प्राधिकरण ने निम्नलिखित निर्देश दिए ।

पिछली बैठकों के लम्बित बिन्दु :-

(1) गांव सभाओं की भूमि पर अतिक्रमण रोकने व उसके सुनियोजित उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए गांव सभाओं की भूमि का सर्वेक्षण अपर जिलाधिकारी से शीघ्र पूरा कराया जाय। चूँकि यह बात पिछली कई बैठकों में दुहराई जाती रही है अत: जिलाधिकारी का ध्यान इस ओर आकृष्ट करते हुए उनसे यह कार्य अगली बैठक तक पूरा करने के लिए कहा गया ।

(कार्यवाही जिलाधिकारी)

(2) गांव सभाओं की भूमि पर हुए अनधिकृत निर्माणों की सूची जिलाधिकारी को भेज दी गयी है। उन्होंने बताया कि धारा 115 (सी) के मुकदमें दर्ज किए जा रहें है। वे राजस्व नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही कर अगली बैठक में अवगत कराए ।

(कार्यवाही जिलाधिकारी)

(3) प्राधिकरण को यह बताया गया कि गांव सभाओं की भूमि पर पटवारी या प्रधानों द्वारा गलत पट्टे परिवार कल्याण कार्यक्रम की आड़ में ऐसे व्यक्तियों को दिए गए हैं या दिये जा रहे हैं जो उनके पात्र नहीं है और सरकारी कर्मचारी भी इस सुविधा का अनुचित लाभ उठा रहे हैं। इसके अलावा पट्टे ऐसी भूमि पर दिए जा रहें हैं जो मास्टर प्लान के अनुसार ग्रीन बेल्ट या कृषि क्षेत्र हैं जहां भवन निर्माण नहीं हो सकता । ऐसे पट्टों के आधार पर बिना मानचित्र व भू-विन्यास स्वीकृत कराए अस्त-व्यस्त रूप से मकान बन रहे हैं और अनधिकृत कालोनीज या बस्तियां जन्म ले रही हैं जबकि शासन की नीति है कि अब और इस प्रकार की बस्तियों का विस्तार न हो। अत: जिलाधिकारी से अनुरोध किया गया कि वे इसकी जांच कर लें और यह सुनिश्चित करें कि पट्टे पात्र व्यक्तियों को ही नियमानुसार सक्षम अधिकारी द्वारा दिए जायं और जिस क्षेत्र या भूमि में पट्टे दिया जाना प्रस्तावित हो उसका भू-विन्यास व भू-उपयोग पहले प्राधिकरण से अनुमोदित करा लिया जाय ।

प्राधिकरण व राजस्व विभाग का इस कार्य में समन्वय होना अनिवार्य है ताकि अगली बैठक में कृत कार्यवाही से अवगत कराया जाय ।

¤कार्यवाही जिलाधिकारी¤

¤4¤ ग्रामीण आबादी के चारों ओर लाल डोरा खींचना इस जनपद में व्यवहारिक नहीं पाया गया क्योंकि गांवों में आबादी एक जगह न होकर फैली हुयी होती है। अतः नगर क्षेत्र के निकट के गांवों को पहले लेते हुए उनके सजरा नक्शों व खसरों में अंकित आबादी के आधार पर गांव की आबादी का क्षेत्र अंकित कर दिया जाय। यह कार्य एक सप्ताह में पूरा करने के लिए श्री आर०पी० सिंह सचिव, दून घाटी विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण को निर्देशित किया गया। वे तीन रंगों में (1) बन्दोबस्ती आबादी (2) 1356-1359 फसली में दर्ज आबादी व (3) उसके बाद बनी आबादी को नक्शों में दिखायेगें क्योंकि बन्दोबस्ती आबादी को ही आधार अब काफी नहीं है। इसके बाद वे अन्य गांवों के संबंध में यह कार्य पूरा करेगें । इस प्रकार प्रत्येक गांव की आबादी का क्षेत्र निश्चित कर लिया जायेगा ।

¤कार्यवाही श्री आर०पी०सिंह¤

¤5¤ अपर जिलाधिकारी उन गांवों की सूची तैयार करेगें जिन्हें प्राधिकरण की सीमा से हटाना उचित ~~होगा~~ हो। वे प्रत्येक गांव के संबंध में कारण भी व्यक्त करेंगे ।

¤कार्यवाही जिलाधिकारी¤

¤6¤ देहरादून की महायोजना को रेवन्यू मानचित्र में दिखाने के कार्य में कोई प्रगति नहीं पायी गयी जबकि जिलाधिकारी ने सहमति प्रकट कर दी थी कि प्राधिकरण क्षेत्र में पड़ने वाले गावों के सजरा प्लान की फोटो कापी कराने में वे सहयुक्त नगर नियोजक को सहायता देंगे। उपाध्यक्ष ने इस कार्य में होने वाले व्यय के भुगतान की समस्या भी हल कर दी है। अतः यह कार्य अब संयुक्त सचिव विकास प्राधिकरण द्वारा किया जाय। प्रत्येग गांव के सजरा प्लान की दो फोटो कापियां बनाई जाय -एक प्राधिकरण कार्यालय के लिए व एक सहयुक्त नगर नियोजक को दी जाय ।

¤कार्यवाही संयुक्त सचिव, विकास प्राधिकरण¤

¤7¤ सम्पत्ति सं० 69 व 71 राजपुर रोड के बारे में प्रस्तुत ले आऊट व अन्य बदली हुयी स्थिति पर विचार कर यह निर्देश दिए गए कि इस भूमि का उपयोग आवासीय व व्यवसायिक दोनों रखा जाय। संयुक्त सचिव नगर

विकास विभाग ने आश्वासन दिया कि वे भू-उपयोग परिवर्तन का प्रस्ताव प्राप्त होने पर एक सप्ताह में संशोधित विज्ञप्ति जारी करवा देंगे । तदनुसार शासन को प्रस्ताव भेजा जाय । इस बीच आफर्स भी आमंत्रित कर लो जाय ।

॥कार्यवाही संयुक्त सचिव विकास प्राधिकरण/
॥नगर विकास विभाग, ~~लखनऊ~~॥

॥8॥ अजबपुरकलां में खेलकूद के मैदान के रूप में विकसित करने की भूमि के अलावा अन्य भूमि पर आवासीय योजना हेतु सर्वेक्षण कार्य अगली बैठक तक पूरा किया जाय ।

॥कार्यवाही नगर नियोजक॥

(9) 26:9:87 की बैठक के लम्बित बिन्दु ।

मानचित्रों के निस्तारण की प्रगति का अवलोकन किया गया । पिछली बैठक बाद लम्बित मानचित्रों की संख्या बढ़ गयी है। इसका कारण यह बताया गया कि उपाध्यक्ष द्वारा नगर नियोजक को यह कार्य सौंपे जाने के बाद भी, वे यह कार्य नहीं कर रहे हैं। प्राधिकरण ने मानचित्रों के निस्तारण में सीलिंग से अनापत्तिक प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिए नगर नियोजक द्वारा प्रस्तावित प्रक्रिया पर विचार किया और सीलिंग से संबंधित शासनादेशों व ~~संयुक्त~~ निदेशक नगर भूमि सीमारोपण द्वारा बतायी गयी स्थिति पर विचार करने के उपरान्त यह निर्देश दिए कि प्रत्येक मामले को सीलिंग विभाग को भेजना अनिवार्य नहीं है तथा शपथ पत्र व इन्डैमिनिटी बौण्ड ले लेना पर्याप्त है। इसी प्रकार लखनऊ विकास प्राधिकरण की प्रक्रिया को भी यहां लागू करना उचित नहीं समझा गया। नगर नियोजक को निर्देश दिए गए कि वे इस प्राधिकरण में अब तक चली आ रही प्रक्रिया के अनुसार मानचित्रों का शीघ्र निस्तारण करें ।

॥कार्यवाही नगर नियोजक॥

॥10॥ अगली बैठक में मानचित्रों के निस्तारण की प्रगति का विवरण देते समय यह भी दिखाया जाय कि दो माह से अधिक पुराने मानचित्र कितने हैं व कब से लम्बित है।

॥कार्यवाही सचिव॥

भूमि की अध्याप्ति की कार्यवाही भी अभी से प्रारम्भ कर दी जाय ।

॥कार्यवाही सहयुक्त नगर निवोजक व परगनाधिकारी मसूरी॥

विषय क्रमांक :- 4 :-

59/4, राजपुर रोड पर होटल की स्वीकृति के संबंध में पुनः विचार हेतु ।

==========

आवेदक द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण पर विचार करने के उपरान्त सर्व-सम्मति से मानचित्र अस्वीकृत करने का निर्णय हुआ क्योंकि राजपुर रोड के इस भाग को और अधिक व्यस्त करना उचित नहीं समझा गयाऔर यह क्षेत्र अभी व्यवसायिक भी नहीं है। आवेदक को तदनुसार सूचित कर दिया जाय ।

॥कार्यवाही सचिव॥

विषय क्रमांक :- 5 :-

तिब्बती मार्केट पर दुकानों के निर्माण की अनुमति तथा स्टेडियम के निर्माण पर विचार :-

==========

॥अ॥ अधिशासी अभियन्ता सा०नि०वि० द्वारा स्टेडियम के निर्माण हेतु तैयार किए गए ले आऊट व उनके पत्र का अवलोकन किया गया । सर्व-सम्मति से निर्णय हुआ कि इस ले-आऊट/प्लान के अनुसार स्टेडियम का निर्माण सा०नि० वि० द्वारा किया जाय और स्टेडियम हेतु जो धन शासन से प्राप्त हुआ है उसका इस कार्य हेतु प्रयोग किया जाय ।

॥कार्यवाही अधिशासी अभियन्ता, सा०नि०वि०/जिलाधिकारी॥

॥ब॥ सर्व-सम्मति से यह भी निर्णय हुआ कि स्टेडियम का मामला इस प्रकार तय हो जाने पर अब यहां पूर्व प्रस्तावित छोटी-छोटी दूकानें भी बनायी जाय ताकि जो लोग यहां बहुत पहले से अनधिकृत रूप से बैठते आ रहे है और किसी और जगह से हटाए गए है उन्हें यह दूकानें उचित मूल्य/किराए पर दी जा सकें। ये दूकानें निर्धारित साईज के प्लेटफार्म बनाकर दी जा सकती है ताकि उनके ऊपर के तल का भी सदुपयोग हो सके। तदनुसार एक डिजायन/प्लान बनाकर अध्यक्ष का अनुमोदन ले लिया जाय ।

॥कार्यवाही अधिशासी अभियन्ता, विकास प्राधिकरण॥

(स) चूँकि उपरोक्तानुसार स्टेडियम के निर्माण हेतु वर्तमान स्थान पर खड़ी हो रही बसों के लिए अन्यत्र व्यवस्था करनी होगी अतः बसों के लिए स्थल चयन हेतु निम्नलिखित कमेटी बनायी गयी :-

1- अधिशासी अभियन्ता, सा0नि0वि0 (श्री रहमान)
2- श्री हीरा सिंह बिष्ट, नगर विधायक ।
3- नगर निगोजक, विकास प्राधिकरण ।
4- अपर जिलाधिकारी (प्रशासन)
5- सचिव, विकास प्राधिकरण (संयोजक)

(सर्वसम्मति)

विषय क्रमांक :- 6 :-

पिक्चर पैलेस के पास कार पार्किंग के सम्बन्ध में :-

इस ~~विषय~~ पर गठित समिति की निरीक्षण आख्या पर विचार करने के उपरान्त सर्व-सम्मति से इस बात पर सैद्धान्तिक सहमति हुयी कि प्रस्तावित स्थल पर कार पार्किंग का स्थल बनाया जाय जिस पर कम से कम 20 गाड़ियों के खड़ा रखने की व्यवस्था हो। इस कार्य की एक इकानामिक व टैक्नीकल फीजिबिलिटी रिपोर्ट भी तैयार कर ली जाय। व्यय की प्रतिपूर्ति मसूरी में स्वीकृत किए जाने वाले मानचित्रों से बैटरमेन्ट चार्ज लेकर की जा सकती है।

(कार्यवाही अधिशासी अभियन्ता, विकास प्राधिकरण)

विषय क्रमांक :- 7 :-

श्री ओम सिंह चौहान एवं श्रीमती आशालता चौहान के भवन खसरा न0153, हरिद्वार रोड, देहरादन के भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क के संबंध में आख्या :-

प्राधिकरण ने प्रश्नगत निर्माण को मौके पर जाकर देखा और मानचित्र से भिन्न व विपरीत निर्माण को देखते हुए तथा इसका उपयोग आवासीय से बदल कर व्यवसायिक करने के कारण सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि निम्नलिखित कम्पाउन्डिंग शुल्क लेकर उपाध्यक्ष द्वारा संशोधित मानचित्र स्वीकृत कर दिया जाय :-

303

§1§ जितनी निर्धारित पार्किंग स्थान की कमी हो रही है उतनी उतनी भूमि का मूल्य ।

§2§ सैट बैक्स को दबाने की पैनाल्टी ।

§3§ भू उपयोग परिवर्तन शुल्क ।

यह शपथ पत्र भी लिया जाय कि प्रथम तल का उपयोग केवल आवासीय ही होगा ।

§कार्यवाही उपाध्यक्ष/नगर नियोजक§

विषय क्रमांक :- 8 :-

कांवली में बस-स्टैण्ड हेतु प्रस्तावित स्थल को परिवर्तित करके आवासीय में नियत करना :-

इस विषय पर समुचित निर्णय लेने के लिए यह उपयुक्त समझा गया कि पहले एक मानचित्र बना लिया जाय जिसमें प्रश्नगत बस स्टैण्ड की भूमि व उसके आस-पास की स्थिति को स्पष्ट दर्शाते हुए प्रस्तावित भूमि की स्थिति को भी दिखाया जाय। अगली बैठक में मानचित्र सहित यह विषय पुनः प्रस्तुत किया जाय ।

§कार्यवाही सचिव/नगर नियोजक, विकास प्राधिकरण§

विषय क्रमांक :- 9 :-

टेलीफोन एक्सचेंज की दीवार के समीप स्थित मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण के कार-पार्किंग स्थल को कारों के प्रयोग हेतु प्रथम वरीयता दिये जाने विषयक :-

सर्व-सम्मति से यह निर्णय हुआ कि दोनों अर्थात किशन लाल मेडिकल स्टोर के सामने सड़क के किनारे व प्राधिकरण द्वारा विकसित स्थल पर कार पार्किंग की जाय और इसका ठेका प्राधिकरण द्वारा दिया जाय । तीन घण्टे तक पार्किंग का रेट एक रुपया प्रतिकार और उसके बाद 10 घण्टे तक 2/- व उसके आगे 5/- प्रति कार रखा जाय। टेलीफोन एक्सचेंज के ~~पास वाले~~ ~~स्थल~~ पास वाले स्थल के आधे भाग में मिलिट्री की गाड़ियां ~~खड़ी~~ होने दी जाय। उनसे पार्किंग शुल्क लेने की बात सेना के संबंधित अधिकारियों से सचिव व सिटी मजिस्ट्रेट ~~द्वारा~~ द्वारा [illegible] तय कर ली जाय ।

§कार्यवाही सचिव विकास प्राधिकरण व सिटी मजिस्ट्रेट§

विषय क्रमांक :- 10 :-

मलिन बस्तियों में किए जा रहे अनधिकृत निर्माण कार्यों के संबंध में ।

§1§ सर्व-सम्मति से निर्णय हुआ कि नगरपालिका क्षेत्र में मलिन बस्तियों में विकास कार्य नगरपालिका द्वारा किया जाय और पालिका भूमि पर बने मकानों की भूमि का पट्टा दिया जाये तथा नगरपालिका के बाहर के क्षेत्र में बनी 12 मलिन बस्तियों में यह कार्य राजस्व विभाग द्वारा किया जाय । यह भी बताया गया नगरपालिका की सीमा से बाहर यह बस्तियां नदी के किनारे नदी तट पर या रिवर बैंड में ही बना ली गयी है। यह निर्देश दिए गए कि राजस्व विभाग व गांव सभाएं इस प्रकार मलिन बस्तियों के विस्तार पर रोक लगाएं नहीं तो उनके अस्तित्व को बनाए रखने की समस्या उठ खड़ी होगी।

§कार्यवाही जिलाधिकारी§ (अधिशासी अधिकारी नगरपालिका)

§2§ यह भी निर्णय हुआ कि ऐसी जिन 12 बस्तियों की सूची दी गयी है उनका पहले प्राधिकरण के स्टाफ से यह सर्वेक्षण करा लिया जाय कि प्रत्येक बस्ती का वर्तमान विस्तार कहां से कहां तक है, उसमें कितने मकान है व वहां किन-किन विकास कार्यों की आवश्यकता है तथा उनकी अनुमानित लागत क्या होगी। तदुपरान्त अगली बैठक में विचार किया जायेगा ।

§कार्यवाही अधिशासी अभियन्ता विकास प्रा0§

विषय क्रमांक :- 11 :-

ग्राम ढाक पट्टी में प्राधिकरण द्वारा विकसित आवासीय भूखण्डों तक पहुंच मार्ग के लिए गाटा सं0 78 की भूमि के क्रय पर विचार :-

यह बताया गया कि ढाक पट्टी की गाटा सं0 69 से 76 व 78 के 3645-64 वर्गमीटर क्षेत्र सीलिंग से सरप्लस होने के कारण प्राधिकरण को दिया गया था जिस पर आवासीय योजना तैयार की गयी है और भूमि का विकास कर वहां प्लाट आवंटित किए गए है। मुख्य सड़क से इस स्थल तक पहुंचने के लिए एक सड़क बनायी जाई है जो गाटा सं0 78 की शेष भूमि से गुजरती है। इस भूमि को लिया जाना आवश्यक है। भू-स्वामिनी श्रीमती चहल को 60/- व 100/- प्रतिवर्गमीटर की दरों के बीच कोई मूल्य तय करने से पूर्व यह आवश्यक समझा गया कि जिलाधिकारी इस भूमि के सभी स्वामियों की वास्तविक स्थिति ज्ञात कर लें व यह भी देख लें कि यदि यह

5.12.87

भूमि जमींदारी उन्मूलन अधिनियम के प्राविधानों से प्रभावित है और प्राधिकरण को मिल सकती है तो तदनुसार कार्यवाही करें। इस संबंध में प्राधिकरण द्वारा उनको व तहसीलदार, देहरादून को लिखा भी जा चुका है।

(कार्यवाही जिलाधिकारी)

विषय क्रमांक :- 12 :-

नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ से प्राप्त फार्म हाउस एवं एसलेरि बिल्डिंग हेतु प्राप्त गाईड लाईन का अनुमोदन विषयक ।

==

गाईड लाइन्स पढ़ी गयी व सर्व-सम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया ।

विषय क्रमांक :- 13 :-

मै0 सिबरसोल कैमिकल लि0 को कुँआवाला में स्पाट जोन करना :-

मै0 सिबरसोल कैमिकल लिमिटेड द्वारा शासन को एक प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया गया है जिसमें उनके द्वारा "उद्योग बन्धु" से निवेदन किया गया है कि सिबरसोल फैक्ट्री को कुँआवाला में स्पाट जोनिंग करा दिया जाय। उनके द्वारा अपने प्रत्यावेदन में अधिकांशतः यह आधार दिया गया है कि उनकी फैक्ट्री से प्रदूषण बहुत कम होता है तथा प्रदूषण नियंत्रण की ओर उनकी फैक्ट्री द्वारा हर सम्भव प्रयास किये जा रहे हैं। उनका यह प्रकरण नीति विषयक है अतः प्राधिकरण के [illegible] विचारार्थ प्रत्यावेदन मूल रूप में प्रस्तुत किया गया ।

उत्तर प्रदेश प्रदूषण बोर्ड के देहरादून स्थित क्षेत्रीय कार्यालय के [illegible] अधिकारी ने बताया कि इस समय जल प्रदूषण नियंत्रण की स्थिति संतोषजनक नहीं है क्योंकि कम क्षमता का प्लान्ट लगाया गया है और क्षमता बढ़ाने में 5 माह का समय लगेगा। उन्होंने यह भी बताया कि वायु प्रदूषण भी अभी नियंत्रित नहीं है क्योंकि बाईलर्स व चिमनीयां मरम्मत योग्य हैं। यहां 14-15 फैक्ट्रीज और है। उनके बारे में भी यह स्थिति देखनी होगी। अतः प्रदूषण नियंत्रण विभाग इनको भी देख कर कुछ समय बाद रिपोर्ट प्रस्तुत करें। स्पाट जोनिंग से पूर्व पर्यावरण विभाग की राय भी लेनी होगी ।

प्राधिकरण द्वारा गठित विलंगति समिति भी इस प्रश्न पर विचार कर रिपोर्ट प्रस्तुत करे। सहस्त्रधारा रोड में स्थित चूना उद्योगों के सम्बन्ध में लिए गए निर्णयों को भी ध्यान में रखना होगा ।

(कार्यवाही सचिव)

5.12.87

विषय क्रमांक :- 14 :-

नगर महायोजना में सड़क की प्रस्तावित चौड़ाई हेतु कार्यवाही किये जाने का अनुमोदन ।

सर्व-सम्मति से यह निर्णय हुआ कि प्रथम फेज में चकराता रोड को प्रभात सिनेमा से कृष्ण नगर चौराहे तक, हरिद्वार रोड को आराघर से रिस्पना नदी तक, गांन्धी रोड को घण्टाघर से दर्शनलाल चौराहे तक महायोजना में निर्धारित चौड़ाई सड़क तक चौड़ा किया जाय और इस कार्य को पूरा करने के लिए सार्वजनिक निर्माण विभाग से व्ययानुमान तैयार किया जाय ।

(कार्यवाही अधिशासी अभियन्ता, सा0नि0वि0)

विषय क्रमांक :- 15 :-

मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण का वित्तीय वर्ष 1987-88 का पुनरीक्षित बजट :-

वर्ष 1987-88 का बजट 16.2.87 की बैठक में पारित किया गया था। इसके बाद कतिपय बदली हुयी स्थिति व आय के स्रोतों में कमी हो जाने के कारणों को ध्यान में रखते हुए प्राधिकरण द्वारा प्रस्तुत पुनरीक्षित बजट पर विचार कर इसे सर्व-सम्मति से अनुमोदन किया गया। इसके अनुसार पुनरीक्षित आय 151-00 लाख रू0 व व्यय 449-20 लाख रू0 होगा। व्यय आधिक्य राजपुर रोड व निरंजनपुर में अध्याप्ति की जा रही भूमि के तीन करोड़ रू0 प्रतिकर के कारण है जो शासन या हडको से धन मिलने पर निर्भर करेगा। इसी प्रकार आवासीय परियोजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने से अधिक व्यय संभावित है। वेतन भत्ते, भवन अनुरक्षण/सुधार, वाहन क्रय व अनुरक्षण तथा विज्ञापन/प्रचार मदों में क्रमशः 13.00 लाख रू0, 1.00 लाख रू0, 4 लाख रू0 व 1.50 लाख रू0 का संशोधित प्राविधान भी अनुमोदित किया गया। अधिष्ठान व्यय कुल 31.25 लाख रू0 अनुमोदित हुआ व परियोजनाओं व्यय 417-95 लाख अनुमोदित हुआ।

(कार्यवाही सचिव, लेखाकार, विकास प्राधिकरण)

विषय क्रमांक :- 16 :-

लक्ष्मण चौक, राजपुर, डालनवाला तथा अन्य आवासीय और व्यवसायिक योजनाओं हेतु हडको द्वारा स्वीकृत ऋण को प्राप्त करने के लिये अनुबन्ध पत्रों पर हस्ताक्षर करने व अभिलेखों में कामनसील लगाने के लिये एक अधिकारी को अधिकृत किया जाना :-

(अ) सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि हडको व अन्य वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त करनेके लिए तथा स्टेट गारन्टी या बैंक गारन्टी प्राप्त करने के लिये काउण्टर गारन्टी पर तथा हडको या अन्य वित्तीय संस्थाओं के साथ निष्पादित होने वाले अनुबन्ध पत्रों पर हस्ताक्षर करने व कामनसील लगाने के लिये मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष/सचिव को अधिकृत किया गया।

(ब) विकास प्राधिकरण के सदस्यों के सम्मुख कामनसील प्रस्तुत की गयी। इसका अनुमोदन किया गया और यह निर्णय लिया गया कि इस कामनसील को उपाध्यक्ष अपनी व्यक्गित अभिरक्षा में रखेंगें। उपाध्यक्ष कामनसील का प्रयोग करने के लिये हमेशा अधिकृत रहेंगें। यह निर्णय उन अनुबन्ध पत्रों पर भी लागू

होगा जो इसके पूर्व निष्पादित किये जा चुके हैं।

/ॉस॥ यदि उपाध्यक्ष के स्थान पर सचिव विकास प्राधिकरण इस कामनसील का उपयोग करनेहेतु इडको अथवा अन्य किसी संस्था में जायेंगे तो अपने साथ उपाध्यक्ष का एक पत्र साथ में ले जायेंगें।

॥कार्यवाही सचिव॥

अन्य विषय क्रमांक ॥1॥ अध्यक्ष की अनुमति से
==================================

॥1॥ सहायक निदेशक पर्यटन ने यह अवगत कराया कि मसूरी में गढ़वाल मण्डल विकास निगम के लिए निर्माण निगम द्वारा तैयार किए गए टूरिस्ट काम्पलैक्स की सबसे ऊँपरी मंजिल पर छत डालने के कार्य को प्राधिकरण द्वारा रूकवा दिया गया है। उन्होंने अनुरोध किया कि यह कार्य जारी रहने दिया जाय। चूँकि यह काम्पलैक्स माल रोड पर है और चूँकि पर्यटन सचिव के कक्ष में अगस्त 1986 में हुयी बैठक में यह निर्णय लिया जा चुका था कि चौथी मंजिल के ऊपर कोई काम नहीं किया जाएगा और छत खुली रखी जाएगी तथा वर्तमान पिलर्स को ही वास्तुकला ॥आर्कीटेक्टचर॥ दृष्टि से सुन्दर रूप दे दिया जाएगा अतः यह सर्व=सम्मति थी कि छत न डाली जाय और इसे खुला ही रहने दिया जाय।

॥कार्यवाही सहायक निदेशक पर्यटन॥

अन्त में अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद देते हुए बैठक समाप्त हुयी।

॥यू०डी०चौबे॥ सचिव, मसूरी-देहरादून विकास- प्राधिकरण, देहरादून।	॥प्रताप सिंह॥ उपाध्यक्ष, मसूरी-देहरादून विकास- प्राधिकरण, देहरादून।	॥एस०एस० पांगती॥ अध्यक्ष, मसूरी-देहरादून विकास- प्राधिकरण, देहरादून।

मद सं 7 के बारे के प्रशमन शुल्क के बारे में यह भी निर्णय लिया गया था कि अवैध निर्माण के लिए, निर्माता ने जो नियमों के उल्लंघन के लिए अलग अलग प्रशमनशुल्क भी आरोपित किया जाय, इस टिप्पणी के साथ अनुमोदित।

20.2.88